न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमलराम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–88/2012 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. हरिसिंह पुत्र श्री लछीराम जाति जाट निवासी सौंख तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. गिर्राज पुत्र श्री मोहनसिंह जाति गडरिया – मृतक
   1/1. सूरजमल पुत्र स्व0 श्री गिर्राज,
   1/2. जावत्री पत्नि स्व0 श्री गिर्राज,
   1/3. दुर्गा पुत्री स्व0 श्री गिर्राज,
   1/4. प्रेम पुत्री स्व0 श्री गिर्राज,
2. मनोहरी पुत्र श्री मोहनसिंह जाति गडरिया – मृतक
   2/1. प्रेमसिंह पुत्र स्व0 श्री मनोहरी,
   2/2. तेजसिह पुत्र स्व0 श्री मनोहरी,
   2/3. मेघो पुत्र स्व0 श्री मनोहरी,
   2/4. महेश पुत्र स्व0 श्री मनोहरी,
   2/5. ममता पुत्री स्व0 श्री मनोहरी ।
3. मंगतू पुत्र श्री बुद्धा जाति गडरिया निवासी सौंख तहसील कठूमर जिला अलवर ।

..... असल रेस्पोडेन्ट्स

4. अमरसिंह पुत्र श्री हुक्मसिंह– मृतक
   4/1. समुन्दरसिंह पुत्र स्व0 श्री अमरसिंह,
   4/2. प्रेमवती पुत्री स्व0 श्री अमरसिंह पत्नि श्री कुशलपाल जाति जाट निवासी प्लॉट नं0 784, आदर्श नगर, जयपुर राज0 ।
5. रघुवीर पुत्र श्री मोरध्वजसिंह,
6. महेन्द्र पुत्र श्री मोरध्वजसिंह – मृतक
   6/1. शीला पत्नि स्व0 श्री महेन्द्रसिंह,
   6/2. रेणु पुत्री स्व0 श्री महेन्द्रसिंह,
   6/3. रचना पुत्री स्व0 श्री महेन्द्रसिंह,
   6/4. सपना पुत्री स्व0 श्री महेन्द्रसिंह,
7. प्रहलादसिंह पुत्र श्री मोरध्वजसिंह,
8. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री बदनसिंह,
9. विक्रमसिंह पुत्र श्री बदनसिंह,
10. शिवसिंह पुत्र श्री हुक्मसिंह,

23/3

11. गिर्राज पुत्र श्री हुक्मसिंह – मृतक
11/1. सुरेश पुत्र स्व0 श्री गिर्राज,
11/2. जगवीर पुत्र स्व0 श्री गिर्राज,
11/3. गुलाबसिंह पुत्र स्व0 श्री गिर्राज,
11/4. राजकुमार पुत्र स्व0 श्री गिर्राज,
11/5. किस्तुरी पत्नि स्व0 श्री गिर्राज निवासीयान ग्राम सौंख तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
11/6. देववती पुत्री स्वी0 श्री गिर्राज पत्नि विनोद कुमार निवासी राधाकुण्ड (मेरेठिया नंगला) गोवर्धन जिला मथुरा ।
11/7. राजवती पुत्री स्व0 श्री गिर्राज पत्नि मोहनसिंह निवासी बरोलीरान तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0 ।
12. अरबसिंह पुत्र गोरधनसिंह,
13. जगदीश सिंह पुत्र गोरधनसिंह,
14. गुरूचरणसिंह पुत्र गोरधनसिंह,
15. केशर बेवा गोरधनसिंह – मृतक
15/1. विद्यादेवी पुत्री श्री गोरधनसिंह,
15/2. ओमवती पुत्री श्री गोरधनसिंह
16. रतनसिंह पुत्र श्री लछी – मृतक
16/1. हेमराज पुत्र स्व0 श्री रतनसिंह,
16/2. लोकेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रतनसिंह,
16/3. शांतिदेवी पत्नि स्व0 श्री रतनसिंह,
16/4. इन्द्रवती पुत्री स्व0 श्री रतनसिंह,
16/5. सुनीता पुत्री स्व0 श्री रतनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सौंख तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी प्रतिवादी/रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री मूलचन्द चौधरी, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री सुरेश चन्द शर्मा अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–23.03.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के निर्णय दिनांक 31.03.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक पुर्नविचार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 जा0दी0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 1068 रकबा 18 बिस्वा, 1069 रकबा 1 बीघा, 1070 रकबा 19 बिस्वा, 1071 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 1072 रकबा 16 बिस्वा सालिम के 1/2 हिस्से के वादी सं0 1 ल0 3 व 1/2 हिस्से का वादी सं0 4, ख0 नं0 1134 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा का वादी सं0 1 ल0 3 को

तथा ख0 नं0 1184 रकबा 2 बीघा का वादी सं0 4 व ख0 नं0 1068 (1063 है) रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम सौंख के रकबा 2 बीघा के 1/2 हिस्से के वादी सं0 1 ल0 3 को 1/2 हिस्से का वादी सं0 4 हिस्सा 1/4 (1/2 हिस्सा है) का खातेदार काश्तकार है । इसी अनुसार वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री हुक्मईम्तनाई दवामी का अनुतोष चाहा गया था । उक्त दावा में हम पक्षकारान द्वारा दिनांक 16.8.90 को व 17.1.91 को राजीनामा भी पेश किया था । न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.9.93 में ख0 नं0 1068, 1069, 1070, 1071, 1072 बाबत सालिम लिखना सहवन से रह गया जो एक लिपिकीय त्रुटि है जिसे संशोधन कराने बाबत प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र 152 सी.पी.सी. के तहत पेश किया जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 11.7.06 को अस्वीकार कर दिया जिससे विक्षुब्ध होकर यह पुर्नविचार प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः उपरोक्त आराजी के बाबत निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.9.93 में सालिम शब्द जोड़ा जावें । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण की बहस सुनकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दि0 31.03.2009 को स्वीकार कर लिया जिस निर्णय दि0 31.03.2009 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन है कि रेस्पो0 ने आराजी ख0 नं0 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1134, 1184 व 1063 वाके ग्राम सौंख के संबंध में एक दावा उपखण्ड अधिकारी कठूमर के न्यायालय मे पेश किया जो दिनांक 22.9.1993 को डिक्री हो गया । निर्णय का अवलोकन करवाया और पहले पेज की लाईन पढ़ी जैसाकि दावा में क्लेम किया वैसा ही डिक्री कर दिया । इसके बाद 26.5.2003 को 152 सी.आर.पी.सी. का प्रार्थना पत्र लगाया और उसमें ये इस्तदुआ की कि ख0 नं0 1068, 1069, 1070, 1071, 1072 सालिम लिखने से रह गया जो लिपिकीय भूल है जिसे दुरूस्त किया जावें और 11.7.2006 को इस संबंध में प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और इस बिनाय पर खारिज किया कि सालिम शब्द ऐसा लगता है कि इसे बाद में जोड़ा गया है । इस प्रार्थना पत्र को खारिज करने पर कहीं रिवीजन नहीं किया जबकि कानूनन इस आदेश का रिवीजन होनी चाहिए । दि0 8.9.2006 को पुनः मियाद बाहर रिव्यू प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 1 के तहत लगाया । इसमें भी ये कहा कि इस पर पुर्नविचार किया जावें कि प्रार्थना पत्र 152 गलत खारिज हो गयी है । वादी के प्रार्थना पत्र से यह पता नहीं चलता कि किसे रिव्यू करना चाहते है दि0 11.7.2006 को या 26.5.2003 को । रिव्यू के साथ कोई शपथपत्र पेश नहीं किया है । धारा 152 सी.आर.पी.सी. का प्रार्थना पत्र 10 वर्ष बाद पेश किया है जो गलत लगा है। अतः इस संबंध में प्रबल सम्भावना है कि 10 वर्ष बाद फर्जकारी हुई हो, संदेह पैदा करता है । सालिम शब्द जोड़ना उस वक्त क्या स्थिति रही हो । उपखण्ड अधिकारी से तस्दीक होना चाहिए । इस प्रार्थना पत्र से दि0 22.9.1993 के सारे मायने ही बदल जाते हैं । यदि सालिम शब्द जोड़ दिया जाता है तो 1993 की डिक्री ही बदल जावेगी ।

बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि उक्त राजीनामा में से केवल दो बीघा ही दी गयी थी । इनका ये कहना है कि राजीनामा में वकील के लघु हस्ताक्षर हैं । इसमें दो

राजीनामा दि0 17.1.91 व 16.8.90 को हुए हैं । दोनों में राजेन्द्र वकील के हस्ताक्षर है तथा राजेन्द्र वकील का कोई शपथपत्र नहीं है । लघु हस्ताक्षरों को कुछ भी पढ़ा जाये राजेन्द्र पढ़े या राधे पढ़े । राजीनामा 16.8.90 को व 17.1.91 को हुआ जिसमें अलग–अलग एवं भिन्न–भिन्न हस्ताक्षर हैं । बहस में ये भी कहा कि दावे में भी हाल से सालिम शब्द लिखा है तथा 1990 के राजीनामा में भी हाथ से सालिम शब्द लिखा है तथा 1991 में भी सालिम शब्द लिखा है । बहस में कहना है कि यदि 1990 में सालिम हाथ से लिखा तो 1991 के राजीनामा में उसे क्यों नहीं स्पष्ट रूप से सालिम लिखा । उसमें भी क्यों हाथ से सालिम लिखा । अतः यह मिलकर फर्जकारी की है जो डिक्री में 10 वर्ष बाद संशोधन किया है । साथ ही कहा कि पहले 152 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तो पुनः कैसे उसी न्यायालय ने सुन लिया । दोनों ही प्रार्थना पत्रों में हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही हमें सुना गया । अतः बिना साक्ष्य ये तय नहीं हो सकता है कि राजीनामा सही है या गलत है । इसमें हमें सुनते व हमें नोटिस देते । इन्हें रिवीजन में जाना चाहिए । जैसे ही हमें पता चला इस संशोधन क़ा मैंने दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील पेश की है । अतः जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें तथा दि0 31.3.2009 का जो आदेश है उसे अपास्त किया जावें और नियमानुसार कार्यवाही की जावें । इसलिए यह आदेश अपास्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रतिउत्तर में अभिभाषक असल रेस्पो0 का क़हना है कि राजीनामा दि0 16.8.1990 का है जिसमें अन्दर शब्द सालिम दर्ज है, किसी कारणवश वह तस्दीक नहीं हुआ तो दूसरा राजीनामा दि0 17.1.1991 को पेश किया । राजीनामा की पहले पेज की लाईन का अवलोकन कराया उसमें काटकर सालिम शब्द लिखा है, हस्ताक्षर हैं और इसको लिखने के बाद द्वितीय पेज पर समस्त पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं । अतः यह कहना कि दावा पेश होने के बाद न्यायालय में राजीनामा पेश होने के बाद उसमें कोई कटिंग की गई है तो ये आरोप गलत हैं । न्यायालय ने इस राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री किया है । उस राजीनामा और डिक्री में न्यायालय की सहवन से सालिम शब्द लिखा नहीं गया । जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया कि सहवन से सालिम शब्द रह गया है । । रिव्यू प्रार्थना पत्र का निर्णय दि0 11.7.2006 का अवलोकन कराया । पहले इसमें मेरा रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया गया और उसके बाद पुनः स्वीकार कर दिया । दोनों पैराज की लेखनी में अन्तर है । ये पुनश्चयः कब लिखा गया ये पक्षकार की जानकारी से बाहर है । नकल लेने पर इस आदेश की जानकारी हुई तो मैंने तहत न्यायालय के समक्ष आदेश 47 नियम 1 का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया । डिले कन्डोन का प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा डिले जानकारी से रिव्यू पेश की थी । इस पर न्यायालय ने 31.3.2009 को आदेश पारित किया जो निर्णय में सहवन से सालिम शब्द लिखने से रह गया उसे जोड़ दिया । अपीलांट का ये आरोप कि मिलकर निर्णय करा लिया, वह गलत आरोप है ।

जवाब बहस में आगे कहा कि अपीलांट का यह कहना कि यह शब्द हमने बाद मे जोड़ा है, ऐसा कोई शपथपत्र या दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह आरोप सही हो । इस आदेश के बाद राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद भी हो चुका है । यदि यह शब्द सालिम बाद में जोड़ा जाता है तो मैं न्यायालय में तीन वर्ष क्यू इंतजार करता । न्यायालय से दो पेशियों में ही निर्णय करा लेता । न्यायालय ने सुनकर बहस करके रेकार्ड देखकर डिक्री में संशोधन

किया है। जहां तक अपीलांट की जानकारी का प्रश्न है, जब राजस्व रेकार्ड में डिक्री की पालना हुई और उसकी नकल ली तो अपीलांट को उसी समय इसकी जानकारी हो गयी । अधीनस्थ न्यायालय में मैंने जो दावा विभाजन का किया है उसमें सभी खसरा नम्बरान को शामिल कर डिक्री किया है । सालिम लेने से दोनों को बराबर जमीन आयी है । जहां पक्षकारों ने राजीनामा दोनों पक्षों में पूर्ण होश हवास से किया है तो आज इस स्तर पर चैन्ज नहीं कर सकते हैं । 152 सी.पी.सी. में नोटिस का प्रश्न है । न्यायालय यदि तामील की कहते तो तामील कराते । न्यायालय की गलती थी । उसे ही 152 सी.पी.सी. में दुरूस्ती करनी थी । अतः रेस्पो0 की इसमें कोई गलती नहीं है । अतः 2003 की संशोधित डिक्री 2009 की अपील के माध्यम से खारिज नहीं की जा सकती है । डिक्री का अमल दरामद हो गया है । अतः इसी स्तर पर अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

जवाब उल जवाब में अभिभाषक अपीलांट का सन् 1990 के राजीनामा में यदि कोई संशोधन किया है तो 1990 के सालिम को 1990 में ही दुरूस्त कर लेते । सन् 1991 में क्यों सालिम लिखा गया । अतः यह पूर्ण संदेह पैदा करता है कि 10 वर्ष बाद डिक्री में कैसे संशोधन कराया, पहले क्यों नहीं कराया । दफा 5 की अपील नहीं है । पुनश्चयः की आर्डरशीट में अपीलांट को नहीं लिखा गया है । आदेश 41 नियम 1 में नोटिस जरूरी हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

हमने विद्धान अभिभाषकगण की बहस बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । साथ ही प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया ।

तहत न्यायालय की पत्रावली, वाद के तथ्यों, दोनों राजीनामा तथा न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.9.1993 का अवलोकन किया गया । तहत न्यायालय द्वारा दिनांक 22.9.1993 को जो डिक्री व निर्णय जारी किया गया है, वह बरूये राजीनामों के आधार पर किया गया है । अतः उक्त डिक्री का मूल आधार पत्रावली में पैरा दो राजीनामा ही है ।

हमने दोनों राजीनामाओं का अवलोकन किया तथा वाद के तथ्यों का भी अवलोकन किया । वाद के तथ्यों में पैरा सं0 10 के बिन्दू ''क'' में ख0 नं0 1068, 1609, 1070, 1071, 1072 के वाद तथा ख0 नं0 1063 के पहले स्याही से ''सालिम'' शब्द लिखा हुआ है । इसके बाद दिनांक 16.8.90 के राजीनामा का अवलोकन किया गया । इसमें ख0 नं0 1068, 1069, 1070, 1071 व 1072 के वाद अंकित ख0 नं0 1063 के बाद कटिंग करके सालिम शब्द लिखा हुआ है । इसके बाद राजीनामा दिनांक 17.1.1991 का अवलोन किया गया । इसमें भी ख0 नं0 1072 रकबा 16 बिस्वा के बाद तथा ख0 नं0 1063 के पहले ''सालिम'' शब्द हाथ से अलग से लिखा हुआ है । तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.9.1993 के अवलोकन से यह लगता है कि तहत न्यायालय ने राजीनामा दि0 17.1.1991 के आधार पर यह दावा डिक्री किया है । चूंकि निर्णय में सालिम शब्द नहीं आया है तथा राजीनामा में ''सालिम'' शब्द हाथ से अलग से अंकित किया है । अतः रेस्पो0 के इन तर्को से सहमत नहीं हुआ जा सकता है कि सालिम शब्द को तहत न्यायालय ने छोड़ दिया है बल्कि जो निर्णय व डिक्री दिनांक 22.9.1993 जारी की है उसमें 152 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र व रिव्यू प्रार्थना पत्र के आधार पर संशोधन विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है ।

152 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के आधार पर केवल लिपिकीय संशोधन ही किये जा सकते हैं । न्यायालय द्वारा पहले 152 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र दिनांक 31.03.2009 को

खारिज कर दिया गया और पुनः रिव्यू प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 1 के द्धारा 152 सी.पी. सी. को स्वीकार किया गया है । इससे निर्णय व डिक्री ही बदल गयी है ।

दूसरा बिन्दू यह भी है कि जब निर्णय व डिक्री से हिस्सा ही बदल जाता है तो अपीलांट/प्रतिवादी को भी सुना जाना न्यायहित में आवश्यक था । ऐसी स्थिति में अपीलांट ने प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम के साथ पेश किया है, वह स्वीकार योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने जो 152 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के आधार पर रिव्यू प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 1 स्वीकार किया है, वह विधिसम्मत नहीं होनें से काबिल खारिजी के है ।

अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 1 दिनांक 31.03.2009 एवं सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र 152 के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 11.7.2006 काबिल खारिज होने से अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.03.2009 अपास्त किये जाते हैं ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर का निर्णय दिनांक 31.03.2009 निरस्त किया जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2018 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/3/18

(कमलराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर